बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

आदेश सं0 :– 11/ मु0 – 05–15/2015...दिनांक.........................

<u>आदेश</u>

मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, गया के परिक्षेत्राधीन जलपथ प्रमंडल जहानाबाद के अंतर्गत सोलहन्डा वियर निर्माण कार्य के लिए मे0 मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, संजय गांधी नगर, कंकड़बाग, पटना द्वारा दिये गये निविदा के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र पत्रांक 206 दिनांक 30.09.10 एवं पत्रांक 93/10 दिनांक 09.09.10 की जॉच कराये जाने पर बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रीक पॉवर कॉरपोरेशन के संबंधित कार्यालय द्वारा उस पर अपना हस्ताक्षर होने से इनकार कर दिया गया। फलस्वरूप मे0 मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के विरूद्ध बिहार ठिकदारी नियमावली 2007 के प्रावधानो के तहत कार्रवाई की गई और विभागीय आदेश ज्ञापांक 301 दिनांक 22.01.13 द्वारा उनके निबंधन सं0 25/2011 (श्रेणी – प्रथम) को काली सूची में डाला गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 442/2013 में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में सचिव महोदय के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया गया। जिस पर विचारोपरान्त सचिव महोदय द्वारा उनका अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 301 दिनांक 22.01.13 को यथावत रखने संबंधी आदेश ज्ञापांक 6301 दिनांक 11.12.14 पारित किया गया।

उपर्युक्त दोनो आदेशो को रद्द करने हेतु मे0 मदर इडिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायलय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 – 22060/2014 दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायलय पटना द्वारा दिनांक 13.04.15 को न्याय निर्णय पारित किया गया जिसका मुख्य ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है :–

"This writ application has to be allowed and the order dated 22.01.2013 as, contained in Annexure 17, as well as the appellate order dated 11.12.2014, as contained in Annexure 22, are required to be quashed and the matter is to be remitted back to the competent original authority for fresh determination in accordance with law."

उपर्युक्त न्याय निर्णय के अनुपालन मे विभागीय आदेश ज्ञापांक 301 दिनांक 22.01.2013 एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 6301 दिनांक 11.12.14 को रदद किया जाता है।

इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्देश के आलोक में जॉचोपरान्त पुनः नया आदेश पारित किया जायेगा।

इसमें प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक...................................... दिनांक...

प्रतिलिपिः– श्री चन्द्रशेन सिंह, निदेशक, मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, रोड नं0–03, संजय गॉधी नगर कंकड़ बाग 800020 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक 2700 दिनांक 27.05.15

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लधु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी. मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

27.05.15

अभियंता प्रमुख (मध्य)